न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

जस्व प्रा0 पत्र संख्या :— 27/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 कौशल्या देवी पत्नी मदनलाल 2 घेवरराम पुत्र दीपाराम जातिगण माली निवासीगण धन्धेड़ी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1 खींवाराम पुत्र अमराराम 2 चम्पालाल पुत्र नारायणलाल 3 मोहनलाल पुत्र नारायणलाल तमाम जाति मेघवाल निवासीगण धन्धेड़ी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान। 4 परसराम चेला रामनारायण रामस्नेही 5 विमला देवी पत्नी रतनलाल जाति माली निवासीगण सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान। 6 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर) सोजत, तह0—सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

1. श्री रमेश टांक अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री मोहनलाल बामणिया अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 31.05.2022

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा धन्धेड़ी के खसरा संख्या 107/1007 रकबा 1.2100 हैक्टर भूमि, खसरा संख्या 107/1 रकबा 1.9200 हैक्टर भूमि कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.1300 हैक्टर किस्म चाही सोयम, बंजड़ भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड वर्तमान जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न है। अप्रार्थी संख्या एक खींवाराम की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 107/1017 रकबा 0.3000 हैक्टर भूमि है तथा अप्रार्थी संख्या 2 चम्पालाल व अप्रार्थी संख्या 3 मोहनलाल की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 59 रकबा 0.2800 हैक्टर भूमि है एवं अप्रार्थी संख्या 4 परसराम की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 107/1008 रकबा 1.2100 हैक्टर भूमि है तथा अप्रार्थी संख्या 5 विमला देवी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 107/2 रकबा 3.8100 हैक्टर है। उक्त वर्णित कृषि भुमि के मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि में नाजायज अतिक्रमण करने की कुचेष्टा कर रहे है। जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है जिस कारण उक्त कृषि भूमि को मौके पर कृषि भूमि की सीमा तय किया जाना असंभव हो गया हैं जिस कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या एक से पांच के बीच सीमाओं को लेकर मन—मुटाव होने लगा है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा मौके पर कृषि भूमि का माप चौक कराने हेतु स्पष्ट इंकार कर दिया है तथा मौके पर मरने—मारने पर उतारू हो गया

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि में जबरदस्ती अतिक्रमण करने की नियत रखते हैं जिससे उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 107/1007, 107/1 व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 107/1008, 107/1017, 107/2, 59 का सीमांकन किया जाना कानुनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का सीमांकन करवा कर मौके पर मुटाम लगवना चाहते है इसलिये उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि का पत्थर गढी के जरिये सीमांकन किया जाना कानुनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। यदि सीमांकन नही किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या एक से पांच को दिनांक 19.01.2022 को उपरोक्त कृषि भूमि का मौके पर सीमांकन करने हेतु निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी संख्या एक से पांच द्वारा उक्त कृषि भूमि का सीमांकन करवाने से साफ इंकार दिया इसलिये यह प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश है। इस प्रकार प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा धन्धेड़ी के खसरा संख्या 107/1007 रकबा 1.2100 हैक्टर भूमि, खसरा संख्या 107/1 रकबा 1.9200 हैक्टर भूमि कुल खसरा दो कुल रकबा 3.1300 हैक्टर भूमि व अप्रार्थी संख्या 01 खींवाराम की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 107/1017 रकबा 0.3000 हैक्टर भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 2 चम्पालाल व अप्रार्थी संख्या 3 मोहनलाल की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 59 रकबा 0.2800 हैक्टर भूमि एवं अप्रार्थी संख्या 4 परसराम की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 107/1008 रकबा 1.2100 हैक्टर भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 5 विमला देवी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 107/2 रकबा 3.8100 हैक्टर भूमि का सीमांकन अनुसार मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रा0 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल बामणिया ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया कि प्रा0 पत्र में पद संख्या 1, 2 में वर्णित तमाम तथ्य सही होने से स्वीकार किया है। प्रा0 पत्र पत्र के पद संख्या 03 के जबाब में अंकित किया कि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण नही करना चाहते है तथा मौके पर पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा मौके पर उल्टा प्रार्थीगण के द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है, जिस कब्जा के कारण से प्रार्थीगण जबरदस्ती उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण कारित करने की नियत से उक्त प्रा0 पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा कई बार प्रार्थीगण से समझाईश कर मौके पर आपसी बंटवाड़ा करने हेतु कहा गया परन्तु हमेशा प्रार्थीगण विवाद करते रहे है। इसलिए जब तक मौके पर बंटवाड़ा कारित नही हो जाता है तब तक मौके पर किसी प्रकार की तारबंदी इत्यादि नहीं की जा सकती है, जिससे मौके पर पक्षकारान के मध्य भारी शांति भंग हो सकती है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति कारित नही हो रही है। प्रार्थीगण के द्वारा कदापि

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

करने हेतु नही गया है और न ही किसी प्रकार का विवाद कारित हुआ है। ऐसी में प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने एवं न्यायासंगत है। प्रा0 पत्र पद संख्या 4, 05 कानूनी होना अंकित किया है। अतः प्रा0 पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थीगण संख्या 04 को लगातार अवसर दिए जाने पर भी जबाब पेश करने में विफल रहने से जबाब प्रा0 पत्र दिनांक 31.05.2022 को बन्द किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 05 को तामिली सूचना बावजूद बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 31.05.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 06 तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पेश पेश कर अंकित किया कि प्रा0 पत्र पद संख्या 01 में वर्णित भूमि धन्धेडी में स्थित है। प्रा0 पत्र के पद संख्या 02 प्रार्थी स्वयं साबित करे। पद संख्या 3 से 5 को कानूनी होना अंकित किया है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा धन्धेड़ी के खसरा संख्या 107/1007 रकबा 1.2100 हैक्टर भूमि, खसरा संख्या 107/1 रकबा 1.9200 हैक्टर भूमि कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.1300 हैक्टर भूमि व अप्रार्थी संख्या 01 खींवाराम की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 107/1017 रकबा 0.3000 हैक्टर भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 2 चम्पालाल व अप्रार्थी संख्या 3 मोहनलाल की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 59 रकबा 0.2800 हैक्टर भूमि एंवं अप्रार्थी संख्या 4 परसराम की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 107/1008 रकबा 1.2100 हैक्टर भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 5 विमला देवी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 107/2 रकबा 3.8100 हैक्टर भूमि का सीमांकन अनुसार मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर तहसीलदार, सोजत ने अपनी सहमति व्यक्त की है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने प्रा0 पत्र में पद संख्या 1, 2 में वर्णित तमाम तथ्य सही होने से स्वीकार किया है। प्रा0 पत्र पत्र के पद संख्या 03 के जबाब में अंकित किया कि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण नही करना चाहते है तथा मौके पर पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा मौके पर उल्टा प्रार्थीगण के द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है, जिस कब्जा के कारण से प्रार्थीगण जबरदस्ती उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण कारित करने की नियत से उक्त प्रा0 पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा कई बार प्रार्थीगण से समझाईश कर मौके पर आपसी बंटवाड़ा करने हेतु कहा गया परन्तु हमेशा प्रार्थीगण विवाद करते रहे है। इसलिए जब तक मौके पर बंटवाड़ा कारित नही हो जाता है तब तक मौके पर किसी प्रकार की तारबंदी इत्यादि नहीं की जा सकती है, जिससे मौके पर पक्षकारान के मध्य भारी शांति भंग हो सकती है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति कारित नही हो रही है। प्रार्थीगण के द्वारा कदापि सीमांकन करने हेतु नही गया है और न ही किसी प्रकार का विवाद कारित

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने की दुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस प्रा0 अधिवक्ता प्रार्थीगण पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थीगण अपनी व अपने आस पडौस की भूमि का सिमांकन करवाने चाहते है। खातेदारों को अपनी भूमि की सिमाओं का सही ज्ञान होना आवश्यक है जिससे सिमाओं को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीत भूमि का सिमांकन करने का आदेश दिया जाना उचित समझते है। सिमांकन शुल्क प्रावधानानुरूप प्रार्थीगण स्वयं वहन कर राजकोष मे जमा करायेगें।

—:आदेश:—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा धन्धेड़ी के खसरा संख्या 107/1007 रकबा 1.2100 हैक्टर भूमि, खसरा संख्या 107/1 रकबा 1.9200 हैक्टर भूमि कुल खसरा दो कुल रकबा 3.1300 हैक्टर भूमि व अप्रार्थी संख्या 01 खींवाराम की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 107/1017 रकबा 0.3000 हैक्टर भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 2 चम्पालाल व अप्रार्थी संख्या 3 मोहनलाल की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 59 रकबा 0.2800 हैक्टर भूमि एवं अप्रार्थी संख्या 4 परसराम की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 107/1008 रकबा 1.2100 हैक्टर भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 5 विमला देवी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 107/2 रकबा 3.8100 हैक्टर भूमि का तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0 अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी संबन्धित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त टीम गठित करके आदेशित किया जाता है कि विवादित भूमि का सीमांकन किया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर पत्थरगढी करवाई जाकर पालना प्रस्तुत करें। तहसीलदार सोजत को तहरीर के साथ उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत